

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद
पत्रांक: सीएफओ/एन/एचएलडी/2024-25(259)

नैनीताल (हल्द्वानी)
दिनांक: मई 29, 2025

सेवा में,

OWNER/MANAGER,
MAITREYA THE GLOBAL SCHOOL
HIMMATPUR CHAUMVAL NEAR MATAJI STADIUM BERI PARAO
HALDWAN, DISTT. NAINITAL, UTTARAKHAND

विषय: शैक्षणिक भवन हेतु अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन शून्यक नम्बर—91937480, दिनांक: 17.05.2025 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त आवेदन MAITREYA THE GLOBAL SCHOOL, HIMMATPUR CHAUMVAL NEAR MATAJI STADIUM BERI PARAO HALDWAN, जनपद—नैनीताल का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण (सभी मापदण्ड यथा भवन निर्माण एवं विद्युत् उत्तराखण्ड शासन एवं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के मानकों के अनुसार) अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन हल्द्वानी द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी की संस्तुति निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 20.05.2025 के अनुसार अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु एबीसी टाईप 04 किग्रा क्षमता के 06 अदद, सीओडू टाईप 4.5 किग्रा के 02 अदद फायर एक्सटिंग्यूशर 20 हजार लीटर क्षमता का अण्डर ग्राउण्ड व 05 हजार लीटर का ओवर हैड रिजर्व वाटर टैंक स्थापित किया गया है। अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से भवन उपयुक्त पाया गया व अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजाँचिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

निर्देशित किया जाता है कि विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार (10 रुपये प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर की दर से), टेस्टिंग शुल्क कागर सर्विस हैड— 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें 60 अन्य सेवायें, 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण के अन्तर्गत जमा कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की पड़ोति सन्तोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व: घोषित। माण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा तथा सदैव मानकों के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी की संस्तुति आख्या के आधार पर MAITREYA THE GLOBAL SCHOOL, HIMMATPUR CHAUMVAL NEAR MATAJI STADIUM BERI PARAO HALDWAN, जनपद—नैनीताल को शैक्षणिक भवन का (भूतल के 08 ऊपर हेतु) प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक: 31 मई 2025 से 30 मई 2028 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाये—

- 01 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियाँ प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
- 02 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
- 03 सभी अग्निशमन यन्त्रों का कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं समझा जाए कि अग्निकाण्ड को घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को सदैव अग्निनिरोधक उपाय करना चाहिए।
- 04 भवन/संस्थान में विद्युत् यन्त्रों का स्थापना वेंटिलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी रैंट बैंक एन्रिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सन्तोषजनक अभिज्ञान अधिकारी से कराया जाएगा।
- 05 संस्थान के विस्तार या सीज की सम्पत्ति पर यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
- 06 इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अग्रे निर्माण का नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
- 07 संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 के गाईड लाईन के अनुसार सदैव अग्निशमन स्थिति में रखा जाना जीव जशा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)।